उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के दिनांक 06.02.2021 को सम्पन्न वित्त समिति की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की 14वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.02.2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. प्रोफेसर ओमप्रकाश सिंह नेगी, मा0 कुलपति जी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।	अध्यक्ष
2. डॉ0 कुमकुम रौतेला, निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड (प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन)	सदस्य
3. श्रीमती शिवानी पाण्डे मुख्य कोषाधिकारी, रूद्रपुर (प्रतिनिधि सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन)	सदस्य
4. प्रो0 पी0एस0 बिष्ट, कुमाऊं वि0वि0, एस0एस0जे0 कैम्पस अल्मोड़ा (कार्यपरिषद सदस्य)।	सदस्य
5. श्रीमती रूचिता तिवारी, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।	सदस्य सचिव
6. डॉ0एच0एस0 नयाल, कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।	विशेष आमंत्रित सदस्य
7. श्री विमल कुमार मिश्र, उपकुलसचिव (वित्त) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।	आमंत्रित सदस्य

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष वित्त समिति कुलपति जी ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रिया–कलापों की संक्षिप्त जानकारी सभी सदस्यों के सम्मुख रखी। तत्पश्चात सदस्य सचिव वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 14वीं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। वित्त समिति के सम्मुख कार्य सूचीनुसार प्रस्तुत 23 प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

मद संख्या 13.01– दिनांक वित्त समिति की दिनांक–10 फरवरी, 2020 को सम्पन्न हुई 13वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सचिव वित्त समिति द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की 13वीं बैठक दिनांक 10फरवरी, 2020 में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। प्रेषित कार्यवृत्त पर कोई सुझाव/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ, तदनुरूप समिति द्वारा सर्वसम्मिति से 13वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या 13.02 – वित्त समिति की दिनांक–10 फरवरी, 2020 को सम्पन्न हुई, 13वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

वित्त समिति की 13वीं बैठक में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा समस्त बिन्दुओं पर विश्वविद्यालय स्तर से कृत कार्यवाही का अनुमोदन किया।

मद संख्या 13.03– वित्तीय वर्ष 2019–20 का वास्तविक आय–व्ययक का विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए विभिन्न व्यय मदों हेतु बजट प्रस्ताव।

समिति के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2019–2020 का आय–व्ययक विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा बजट विवरण तालिका का अवलोकन कर आय–व्यय की पुष्टि की गयी तथा वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक प्रस्ताव जो शासन को प्रेषित किया गया था का अनुमोदन किया गया। शासन स्तर से वेतन, भत्ते एवं अन्य व्ययों हेतु बजट आंवटित किया जाता है, परन्तु यह राशि वेतन, भत्ते एवं अन्य व्ययों हेतु पर्याप्त नहीं होती है, तथापि शासन से यथासमय बजट अवमुक्त नहीं हो पाता है। बजट प्राप्ति में बिलम्ब व आहरण प्रक्रिया में लगने वाले समय के दृष्टिगत विश्वविद्यालय हित में स्वयं के आय स्त्रोतों (शुल्कादि) से प्राप्त आय से कार्मिकों के वेतनादि तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का वित्तीय भार भी वहन करना होता है। इस हेतु मांग को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय के शुल्कादि मद में उपलब्ध धनराशि को प्राप्त अनुदान की प्रत्याशा में व्यय किया जाता है। समिति द्वारा

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय के आवश्यक व्यय को शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान की प्रत्याशा में शुल्कादि मद से व्यय किये जाने व अनुदान उपरान्त समायोजन किए जाने की भी सहमति प्रदान की गयी।

समिति ने विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बेहतर वित्तीय नियोजन, तथा विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021–2022 में विश्वविद्यालय के आय स्रोतों से विभिन्न मदों में कुल धनराशि **₹ 68,08,00,181/–** का बजट प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण माना एवं वित्तीय वर्ष 2021–2022 के बजट प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी एवं व्यय में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की गयी।

EXPENDITURE DETAILS/BUDGET PROPOSAL 01-04-2021 TO 31-03-2022		
Sl no	**Head**	**Proposal for 2021-2022**
A	**Grant from Salary (05)**	146,650,181.00
	Total (A)	**146,650,181.00**
B	**Grant from Capital Assets (55)**	133,900,000.00
	Total (B)	**133,900,000.00**
C	**Grant from Non-Salary(56)**	
1	Advertisment	1,900,000.00
2	Comp. Maint./Stationery Exp./Res. &Dev. H/w & Tech	1,400,000.00
3	Convocation / Other / Library	2,500,000.00
4	Electricity Expenses	1,700,000.00
5	Exam Exp. / Legal Exp.	65,000,000.00
6	Fee Share to Study Centre	140,000,000.00
7	Food / Refreshment Exp.	50,000.00
8	General Maintenance	1,600,000.00
9	Guest Exp. & Allow./Student Supp. System	4,000,000.00
10	Office Expenses	6,000,000.00
11	Office Furniture & Apparatus& Material Consumption	6,000,000.00
12	Pension and Gratuity	1,200,000.00
13	Petrol / Diesel for Vehicle/Maintenance	2,600,000.00
14	Printing and Unit Writing/Dev. of Course Material	12,000,000.00
15	Printing/Books Purch./Publishin	70,000,000.00
16	Reimbursement of Medical Expenses	1,600,000.00
17	Remuneration	22,000,000.00
18	Rent and Taxes	5,000,000.00
19	Small Construction Work& Related Work & Wages	7,000,000.00
20	Spl. Exp/UPNL/Acd. Assoc./Adm. Con./Ext. Ser Prov	40,000,000.00
21	Staff Car Purchase	1,000,000.00
22	Staff Training & Dev.	2,000,000.00
23	Telephone Expenses	1,000,000.00
24	Transfer Travelling Allowance	50,000.00
25	Travelling Expenses	2,200,000.00
26	Vocational Edu. & Res./Medicines	2,200,000.00
27	Wages	150,000.00
28	Water Expenses	100,000.00
	Total (C)	**400,250,000.00**
	Grant Total (A+B+C)=	**680,800,181.00**

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 14:04– मा0 कुलपति जी के वाहन चालक को ₹ 5000/– की धनराशि इम्प्रेस्ट मनी के रूप में आकस्मिक वाहन संबंधित व्ययों हेतु किये गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

समिति द्वारा प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण मानते हुए मा0 कुलपति जी के वाहन चालक को ₹ 5000/– की धनराशि इम्प्रेस्ट मनी के रूप में अनुमन्य करते हुए धनराशि का उपयोग आकस्मिक व्ययों हेतु किये जाने की संस्तुति की गयी तथा पूर्व भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या 14:05– विश्वविद्यालय में बाह्य विशेषज्ञों के ठहरने हेतु अनुबन्धित होटल के इतर होटलों में ठहराने पर किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा उपरान्त, विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यकलापों, कोविड–19 में स्थितियां असामान्य हो जाने व अनुबंधित होटल राज पैलेस को कोविड–19 सेन्टर बनाये जाने के कारण अन्य होटलों में अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था किये जाने तथा शैक्षिक पदों पर चयन के साक्षात्कार हेतु उपस्थित बाह्य विशेषज्ञों को गोपनीयता के दृष्टिगत अनुबंधित होटल से इतर होटलों में ठहराये जाने पर किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 14:06– I.C.S.S.R. द्वारा सेमिनार/कार्यशाला हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त धनराशि ₹ 135390 का व्यय किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर Indian Council of Social Science Research (ICSSR) द्वारा वित्त पोषित समिति द्वारा सेमिनार/कार्यशाला हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) पाठ्यक्रम शुल्क से किए गए अतिरिक्त व्यय ₹ 135390/– की कार्योत्तर स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि, समायोजनोपरान्त आई0सी0एस0एस0आर0 से अवमुक्त की जाने वाली धनराशि ₹ 75,000 जो अभी तक अप्राप्त है को प्राप्त करने का दायित्व सेमिनार समन्वयक का होगा, तथा धनराशि प्राप्त होने की सूचना से आगामी वित्त समिति को अवगत कराया जायेगा। ।

मद संख्या 14:07– विश्वविद्यालय में माह सितम्बर, 2020 परीक्षा कार्यों में कोविड–19 के दौरान, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को मानदेय ₹ 1000/– प्रतिदिन की दर से भुगतान किये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति के कार्यवृत्त का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श करते हुए विश्वविद्यालय की माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2020 में कोविड–19 वैश्विक

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

महामारी के मध्य संचालित परीक्षाओं हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए देय मानदेय धनराशि ₹ 500/– के स्थान पर ₹ 1000/– प्रतिदिन भुगतान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव को, पूर्ण औचित्य सहित कार्यपरिषद में अग्रेषित किए जाने का परामर्श दिया गया जिसे अध्यक्ष महोदय सहित अन्य सदस्यों ने उचित मानते हुए कार्यपरिषद को अग्रेषित करने की संस्तुति प्रदान की।

मद संख्या–14.08– प्रवेशार्थियों से काउंसिलिंग शुल्क प्राप्त किए जाने तथा काउंसिलिंग में कार्य करने वाले विशेषज्ञों तथा अन्य कार्मिकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक निर्धारण के संबंध में।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में बी.एड. (विशेष शिक्षा) एवं बी.एड. (दूरस्थ शिक्षा) पाठ्यक्रम सहित आदि ऐसे पाठ्यक्रम, जिनमें प्रवेश हेतु प्रवेशार्थियों की काउंसिलिंग की जाती है में काउंसिलिंग शुल्क प्राप्त किए जाने तथा काउंसिलिंग में कार्य करने वाले विशेषज्ञों तथा अन्य कार्मिकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक प्रति 100 प्रवेशार्थियों के बैच के आधार पर निर्धारण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। समिति द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान पर कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के सुझाव व संशोधनों के अनुरूप निम्नानुसार संशोधन को स्वीकार किया गया।

क्रम सं	आन्तरिक विशेषज्ञ व कार्मिक	आंतरिक समिति द्वारा निर्धारित पूर्व दरें	वित्त समिति द्वारा संशोधित दरें
1	अध्यक्ष समिति	₹ 1500	₹ 1100
2	संयोजक/समिति सदस्य	₹ 1200	₹ 1000
3	तृतीय श्रेणी कार्मिक	₹ 1000	₹ 600
4	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	₹ 800	₹ 500

वित्त समिति द्वारा उक्त दरों को इस प्रतिबन्ध के साथ कि किसी भी दशा में काउंसिलिंग से प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय ना हो को कार्यपरिषद में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्णय लिया गया।

मद संख्या 14:09 PPT आधारित व्यायाख्यानों का मानदेय निर्धारण एवं तथ्यपरक प्रश्नों का Question Bank बनवाये जाने हेतु बाह्य विशेषज्ञों के मानदेय निर्धारण के सम्बन्ध में।

1– समिति द्वारा PPT आधारित व्याख्यानों को बनवाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर गुण दोष के आधार पर विस्तृत चर्चा की गयी। जिन विषयों में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अध्ययन सामग्री की माँग सामान्यतः की जाती है उन विषयों में दूसरी भाषा (यदि सामग्री हिंदी में है तो अंग्रेजी और यदि पाठ्य सामग्री अंग्रेजी में है तो हिंदी) में यूनिट–वाइज PPT आधरित व्याख्यानों को बनवाये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे कि दूसरी भाषा माध्यम के विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इस हेतु बाह्य अध्यापक के द्वारा एक यूनिट के PPT आधारित लेक्चर के लिए ₹ 2000/– प्रति लेक्चर जिसकी समयावधि डेढ़ घण्टा (1½ hour) से कम नहीं

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

होगी की दर से मानदेय दिये जाने तथा लेक्चर के उपरान्त जिसका प्रयोग करने का पूरा अधिकार केवल उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का होगा पर सहमति देते हुए संस्तुति प्रदान की गयी। इस प्रक्रिया में आंतरिक शिक्षकों के द्वारा न्यूनतम 25 व्याख्यान स्वयं ही दिए जाने पर सहमति दी गयी।

2– सत्रीय कार्य (Assignments) की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने के कारण विषयों में तथ्यपरक प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक (Question Bank) के संबंध में बाह्य प्राश्निकों से तथ्यपरक प्रश्न बनवाये जाने की दशा में यदि प्रश्न पत्र एक ही भाषा माध्यम में है तो ₹ 40/– प्रति तथ्यपरक प्रश्न तथा यदि तथ्यपरक प्रश्न पत्र दो भाषा में है तो ₹ 50/– प्रति प्रश्न की दर से देय मानदेय निर्धारण पर सहमति व्यक्त की गयी तथा प्रश्नों को गुणवत्तापरक बनाये जाने के साथ प्रश्नों की न्यूनतम व अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने के संशोधन के मन्तव्य के साथ प्रस्ताव कार्यपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।

मद संख्या 14:10 – विश्वविद्यालय में चयन समिति तथा आकस्मिक रूप से उपस्थित बाह्य विशेषज्ञों को विश्वविद्यालय में पारित दरों से इतर टैक्सी किराया का भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं विशेष परिस्थिति में मा0 कुलपति जी के आदेश पर वास्तविक व्यय पर भुगतान किये जाने संबंधी प्रस्ताव।

समिति द्वारा, वर्तमान में विश्वविद्यालय में साक्षात्कार सम्पादन किए जाने हेतु आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञों को कुलपति जी के अनुमोदनोपरांत किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर टैक्सी यात्रा भुगतान पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विश्वविद्यालय में नियुक्ति हेतु चयन समितियों एवं ऐसी अन्य आकस्मिक समिति या जिसे विश्वविद्यालय हित में आवश्यक समझा जाए में बाह्य विशेषज्ञों के रूप विभिन्न संस्थाओं/विभागों के प्रख्यात शिक्षाविदों/उच्चाधिकारियों एवं कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्यों को आमंत्रित किये जाने पर केवल विशेष व अपरिहार्य परिस्थितियों में ही उनके द्वारा प्रस्तुत यात्रा देयकों का भुगतान वास्तविक आधार पर, माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरांत ही किए जाने की संस्तुति की गयी।

मद संख्या 14:11– विश्वविद्यालय की चयन समितियों में बाह्य विशेषज्ञों के सीटिंग (चार्ज)/मानदेय भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति एवं समय निर्धारण पर विचार।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तापूर्वक चर्चा व विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि, चयन समिति के बाह्य विशेषज्ञों द्वारा एक ही दिवस में एक से अधिक साक्षात्कार लिए गये हैं, जिससे विश्वविद्यालय के प्रतिदिवस बाह्य विभिन्न विशेषज्ञों को होटल में ठहराये जाने, भोजन, यात्रा व्यय आदि में मितव्ययता हो सकी। इसी क्रम में कुलपति के

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

आदेशानुसार बाह्य विशेषज्ञ को ₹ 2250/– प्रति साक्षात्कार भुगतान किया गया है। समिति द्वारा इस तर्क को उचित मानते हुए प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

समिति द्वारा वित्त समिति की छठीं बैठक दिनांक 10.04.2013 के प्रस्ताव संख्या–06.24 में चयन समिति में बाह्य विशेषज्ञों को देय मानदेय में संशोधन करते हुए लोक सेवा आयोग की दरों पर धनराशि ₹ 2250/– के स्थान पर ₹ 2500/– प्रति साक्षात्कार निर्धारित किए जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

मद संख्या 14:12– UGC/NAAC/RCI/ICSSR आदि ऐसी संस्थाओं से आए प्रतिनिधियों का मानदेय उन संस्थाओं के मानकों के अनुसार दिए जाने के संबंध में विचार।

समिति द्वारा कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत RCI के बाह्य विशेषज्ञों को उनके मानको के आधार पर किये गये मानदेय भुगतान प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त के अतिरिक्त वि0वि0 के पाठ्यक्रमों व विश्वविद्यालय की मान्यता हेतु UGC, NAAC, RCI, ICSSR एवं अन्य वित्त पोषित संस्थाएं जिनका मानदेय उन संस्थाओं के मानकानुसार देना पड़ता है, के सदस्य द्वारा प्रतिभाग करने की दशा में कुलपति जी के अनुमोदनोपरांत उनके मानकों के आधार पर किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

मद संख्या 14:13– परीक्षा समिति की 12वीं बैठक दिनांक 29.09.2020 के कार्यवृत्त से, 14वीं वित्त समिति के समक्ष प्राप्त बिन्दुओं पर विचार एवं अनुमोदन।

परीक्षा समिति की 12वीं बैठक दिनांक 29.09.2020 में वित्तीय उपाशय संबंधी बिन्दु वित्त समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रेषित किये गये, वित्त समिति द्वारा निम्न प्रकार सहमति प्रदान की गयी–

विचार हेतु प्रेषित बिन्दु	वित्त समिति की संस्तुति
(क) नकल (UFM) संबंधी नियम के बिन्दु 03 में परीक्षार्थी से दण्डरूप ₹100/– शुल्क लिये जाने किये जाने के संबंध में।	नकल (UFM) में परीक्षार्थी से दण्डस्वरूप पूर्व में कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। जिसे ₹100/– परीक्षार्थी से लिया जाना औचित्यपूर्ण मानते हुए अनुमोदित किया गया।
(ख) Transcript शुल्क (₹500/–) में संशोधन किये जाने के संबंध में।	विद्यार्थी/दूतावासों के आवेदन पर संबंधित की Transcript को विश्वविद्यालय से प्रेषित किए जाने हेतु पूर्व में निर्धारित शुल्क (₹ 500/–) को बढ़ाकर ₹ 700/– किये जाने की परीक्षा समिति की संस्तुति में संशोधन करते हुए शुल्क ₹ 1000/– निर्धारित जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
(घ) परीक्षा केन्द्रों में तैनात किए जाने वाले कार्मिकों को दिये जाने वाले मानदेय में सभी	वित्त समिति द्वारा कार्मिकों के निर्धारित मानदेय में धनराशि ₹100/– बढ़ाये जाने की परीक्षा समिति की

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

स्तर के कार्मिकों के निर्धारित मानदेय में धनराशि ₹ 100/— बढ़ाये जाने के प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।	संस्तुति को अस्वीकारते हुए केवल conveyance Allowance ₹ 100/— के स्थान पर ₹ 200/— प्रतिदिन निर्धारित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
(च) परीक्षा केन्द्रों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (बहुउद्देशीय कार्मिक) (MTS) के तैनाती मानकों में संशोधन किये जाने के संबंध में	परीक्षा केन्द्रों में (बहुउद्देशीय कार्मिक) (MTS) कार्मिक तैनाती किए जाने की संस्तुति निम्न प्रकार की गयी है— 0 से 100 तक — 04 न्यूनतम 100 से 300 तक — 05 301 से 500 तक — 06 इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र के परीक्षा नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था किये जाने हेतु कुल 02 चतुर्थ कार्मिकों की तैनाती करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
एकल विषय पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों को अंकतालिका/Transcript के अतिरिक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस हेतु वर्तमान मे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अतः जारी किये जाने वाले प्रमाण की शुल्क धनराशि ₹ 100/— किये जाने पर विचार	समिति द्वारा अंकतालिका/Transcript के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के लेटरहैड में परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी, जिस हेतु धनराशि ₹100/— शुल्क निर्धारित करते हुए अभ्यर्थी द्वारा ऑफलाइन/ऑनलाइन जमा जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 14:14— विश्वविद्यालय में अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत नियोजित अकादमिक परामर्शदाताओं के मानदेय वृद्धि प्रस्ताव पर विचार।

(क) समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा वित्त समिति की 12वीं बैठक दिनांक 28.03.2019 में अकादमिक परामर्शदाताओं को देय मानदेय के संबंध में लिये गये निर्णय में सम्यक विचारोपरांत संशोधन करते हुए संस्तुति दी गयी कि यू0जी0सी0 की सेवा शर्तों एवं अर्हताओं को पूरा करने वाले अकादमिक परामर्शदाताओं/एसोसिएटस को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रथम वर्ष में धनराशि ₹ 25000/— का मानदेय दिया जाय। केवल यू0जी0सी0 की सेवा शर्तों एवं अर्हताओं को पूरा करने वाले अकादमिक परामर्शदाताओं/एसोसिएटस की appraisal रिर्पोट संतोषजनक होने के आधार पर एक वर्ष पश्चात नियोजन में धनराशि ₹ 35000/— दिये जाने के प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।

(ख) समिति द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह क्वीरा, अकादमिक परामर्शदाता (पत्रकारिता) के मानदेय वृद्धि प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए मानदेय वृद्धि प्रस्ताव के बिन्दु **(क)** के निर्णय के अनुपालन की संस्तुति प्रदान की गयी।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 14:15– श्री अनिल कण्डारी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पूर्व विभाग में की गयी सेवाओं की गणना इस विश्वविद्यालय में किये जाने तथा वेतन संरक्षण का लाभ अनुमन्य किये जाने विषयक प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु गठित समिति की दिनांक 21.01.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त पर विचार।

वित्त समिति द्वारा श्री अनिल कण्डारी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पूर्व विभाग में की गयी सेवाओं की गणना इस विश्वविद्यालय में किये जाने तथा वेतन संरक्षण का लाभ अनुमन्य किये जाने के उपरान्त देय एरियर संबंधी गठित समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 21.01.2021 के कार्यवृत्त का अवलोकित कर अनुमोदित किया गया। समिति द्वारा श्री कंडारी की पूर्व सेवाये जोड़े जाने संबंधी प्रपत्रों का अवलोकन कर वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु सहमति व्यक्त कर शासन से भी अनुमति लिए जाने की अनुसंशा की गयी।

मद संख्या 14:16– कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 21.01.2021 के कार्यावृत्त पर विचार।

कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना किये जाने में मानक/रीति निर्धारित किये जाने हेतु कार्यालय आदेश संख्या यूओयू/आर3/CAS/2020/180, दिनांक 19.01.2021 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 21.01.2021 का कार्यवृत्त वित्त समिति द्वारा अवलोकित कर सहमति व्यक्त करते हुए कार्यपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी।

मद संख्या 14:17– डॉ0 कल्पना पाटनी लखेड़ा, सहायक प्राध्यापक (शिक्षाशास्त्र) को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

वित्त समिति द्वारा डॉ0 कल्पना पाटनी लखेड़ा पूर्व की उनकी राजकीय सेवाओं के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 92/XXIV(6)/2016-08(05)/2016 दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 का अवलोकन करते हुए, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 16वीं बैठक दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 में प्रस्ताव संख्या 16.04 के निर्णय आलोक में डॉ कल्पना पाटनी लखेड़ा को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

मद संख्या 14:18– बाह्य सेवा प्रदाता उपनल से कार्यरत श्री नवीन चन्द्र जोशी चतुर्थ श्रेणी संविदा कार्मिक से वाहन चालक का अतिरिक्त कार्य लिए जाने हेतु प्रतिमाह ₹1000/– की प्रोत्साहन धनराशि भुगतान किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

समिति द्वारा कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान श्री नवीन जोशी से वाहन चालक का अतिरिक्त कार्य लिए जाने पर भुगतानित धनराशि ₹5355/– के प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रदान की गयी। चूंकि वाहन चालकों की कमी को देखते हुए वाहन चालन कार्य में दक्ष कार्मिक श्री नवीन जोशी से वाहन चालक का कार्य वर्तमान में भी लिया जा रहा है अतः अन्य माहों के मानदेय के निर्णय हेतु समिति द्वारा प्रकरण कार्यपरिषद को अग्रेषित किया गया।

मद संख्या 14:19— विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन एवं अकादमिक भवन में कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय, वित्त नियंत्रक कार्यालय, उपकुलसचिव कक्ष, बैठक कक्ष एवं अन्य कार्यालय व्यवस्था के कक्षों में आंतरिक साज—सज्जा, अनुरक्षण एवं इलैक्ट्रिक तथा इलैक्ट्रानिक उपकरणों सम्बन्धी कार्यों की अनुमति।

विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन एवं अकादमिक भवन में कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय, वित्त नियंत्रक कार्यालय, उपकुलसचिव कक्ष, बैठक कक्ष एवं अन्य कार्यालय व्यवस्था के कक्षों में आंतरिक साज—सज्जा, अनुरक्षण एवं इलैक्ट्रिक तथा इलैक्ट्रानिक उपकरणों का क्रय सुविधाओं हेतु ₹ 50.00 लाख तक के कार्यों पर समिति द्वारा स्वीकृति इन शर्तों के अधीन प्रदान किया गया कि उक्त कार्यों को कराए जाने से पूर्व प्राक्कलन समिति गठित कर, कार्यों का प्राक्कलन करा लिया जाए।

मद संख्या 14:20— बिल, बाऊचर एवं वित्तीय अभिलेखों आदि पर कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षर कराये जाने के संबंध में—

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरांत विश्वविद्यालय की 13वीं वित्त समिति में पारित व्यवस्था को विघटित करते हुए समस्त बाऊचरों देयकों पर कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षर कराये जाने का अनुमोदन दिया गया तथा साथ ही बैंक खातो के संचालन हेतु वित्त नियंत्रक के हस्ताक्षर किये जाने की पूर्व व्यवस्था को इस प्रतिबन्ध के साथ यथावत रखा गया कि वित्त नियंत्रक के अवकाश में जाने पर दैनदिन कार्यों के अतिरिक्त अन्य भुगतान कदापि नहीं किया जाएगा। वित्त नियंत्रक के अवकाश में होने पर भुगतान के संबंध में व्यवस्था बनाए जाने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

मद संख्या 14:21— विश्वविद्यालय कॉपर्स फण्ड में धनराशि जमा किए जाने हेतु एक अनिवार्य व्यवस्था बनाए जाने के संबंध मे।

समिति द्वारा कॉपर्स फण्ड धनराशि की व्यवस्था हेतु परीक्षा मद से प्राप्त आय का 25 प्रतिशत अनिवार्य रूप से तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय में बचतों के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि जमा किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 14:22– विश्वविद्यालय कार्मिकों के एनपीएस अंशदान पर ब्याज के संबंध में विचार।

समिति द्वारा कार्मिकों के पेंशन अंशदान की **'बैंक ऑफ बड़ौदा'** में जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज के विभाजन के संबंध में विस्तार से चर्चा व विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त यह निष्कर्ष निकाला कि इस Auto Sweep खाते में ब्याज दर स्थिर नहीं है तथा साथ ही कार्मिकों के जमा अंशदान की तिथि व धनराशि पृथक–पृथक है, अतः कार्मिकों के अंशदान पर प्राप्त ब्याज को कार्मिकों की धनराशि जमा अवधि तथा जमा धनराशि के आधार पर बांटे जाने की संस्तुति प्रदान की गयी। ब्याज की धनराशि को कर्मचारीवार आवंटन 31 मार्च, 2021 की तिथि के अनुसार किये जाने की संस्तुति की गयी।

मद संख्या 14:23– वित्तीय वर्ष 2019–2020 के वार्षिक लेखों का अवलोकन।

समिति के सम्मुख विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए गए। समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–2020 के वास्तविक आय एवं व्यय के आंकड़ों का अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया गया तथा प्रस्तुत किए गए लेखों पर अनुमोदन दिया गया।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव–</u>

(क)– नवीन सर्वर स्थापित किए जाने हेतु कार्य कराये जाने के संबंध में–

समिति द्वारा, विश्वविद्यालय का प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन में नवीन सर्वर स्थापित किए जाने हेतु कराए जाने वाले कार्यों तथा आने वाले अनुमानित व्ययभार धनराशि ₹ 603650/– पर अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रश्नगत कार्य पारदर्शिता के साथ किये जाने के निर्देश दिए गए।

(ख)– विश्वविद्यालय में उपनल से कार्यरत सुरक्षा कार्मिकों को परीक्षा कार्यों हेतु देय मानदेय के संबंध में–

विश्वविद्यालय में उपनल से कार्यरत सुरक्षा कार्मिकों द्वारा समूह 'ग' व 'घ' कार्मिकों की भांति परीक्षा मानदेय दिए जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर समिति द्वारा असहमति व्यक्त की गयी तथा प्रस्ताव को औचित्यहीन मानते हुए प्रकरण निर्णय हेतु कार्यपरिषद को अग्रेषित किया गया।

(ग)– बाह्य सदस्यों व विशेषज्ञों को यात्रा भत्ता में डी0ए0 भुगतान के संबंध में।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्ति की चयन समितियों एवं अन्य ऐसी अन्य आकस्मिक समिति, जिसे विश्वविद्यालय हित में आवश्यक समझा जाए में बाह्य विशेषज्ञों के रूप आमंत्रित

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

शिक्षाविदों/उच्चाधिकारियों को, जिनके आवास, भोजन व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है तथा उन्हें Sitting Charges की धनराशि भी दी जाती है को वित्तीय नियमों के आलोक में यात्रा भत्ता ही स्वीकार किया जाय तथा डी0ए0 का भुगतान न किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

(घ)– अध्ययन केन्द्रों को देय अंश के संबंध में।

अध्ययन केन्द्रों को देय अंश के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति पर विभिन्न दरों का निर्धारण किया गया जो कि वित्त समिति की 13वीं बैठक दिनांक 10.02.2020 में संस्तुत तथा कार्य परिषद की 27वीं बैठक 12.02.2020 में अनुमोदित है। अध्ययन केन्द्रों को भुगतान किये जाने का आंकलन करने पर यह पाया गया है कि कतिपय अध्ययन केन्द्रों में कुल पाठ्यक्रम शुल्क से प्राप्त आय से अधिक धनराशि भुगतान किये जाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके संबंध में वित्त समिति द्वारा समस्त भुगतान को रोकते हुए कार्यपरिषद के माध्यम से नवीन आंकलन समिति बनाए जाने का सुझाव दिया गया।

(ड़)– प्रवेश/परीक्षा आवेदन पत्रों के पुष्टिकरण/अग्रसारण, अंकन, पुस्तक वितरण एवं सत्रीय कार्य अंक की साफ्टवेयर में प्रविष्टि आदि हेतु निर्धारित दरों ऑफलाइन/ऑनलाइव, प्रति छात्र किये जाने के संशोधन के संबंध में।

वित्त समिति द्वारा ऑफलाइन प्रवेश/परीक्षा आवेदन पत्रों के पुष्टिकरण/अग्रसारण, अंकन, पुस्तक वितरण एवं सत्रीय कार्य अंक की साफ्टवेयर में प्रविष्टि आदि हेतु ₹ 10.00 (रूपया दस) तथा ₹ 1.00 (रूपया एक) को प्रति सत्रीय के स्थान पर प्रति छात्र किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर, कुलपति जी को अधिकृत करते हुए 01 Review Committee बनाये जाने का निर्देश देते हुए प्रकरण को कार्यपरिषद के निर्णय हेतु अग्रेषित किया गया।

(च)– वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 15.04.2011 के मद संख्या–3.17 में कुलपति विवेकाधीन निधि का नाम परिवर्तित किये जाने पर विचार

समिति द्वारा कुलपति विवेकाधीन निधि का नाम परिवर्तित करते हुए **'University Welfare Fund' (विश्वविद्यालय कल्याण कोष)** किये जाने की संस्तुति की गयी। इकाई लेखन पारिश्रमिक, प्रश्न–पत्र निर्माण/मोडरेशन पारिश्रमिक, उत्तरपुस्तिकाओं/ओ0एम0आर शीट मूल्याकंन पारिश्रमिक, परियोजना निर्देशन पारिश्रमिक, मूल्यांकन पारिश्रमिक, मौखिकी पारिश्रमिक, क्षेत्रीय कार्य मूल्यांकन पारिश्रमिक, प्रयोगात्मक परीक्षा पारिश्रमिक, प्रश्न बैंक पारिश्रमिक, विशेषज्ञों के व्याख्यान/सेमिनार/कार्यशाला पारिश्रमिक, परीक्षकों/विशेषज्ञों के पारिश्रमिक तथा अन्य ऐसे पारिश्रमिक पर प्राप्त राशि से 05 प्रतिशत की कटौती कर इस खाते में जमा किये जाने हेतु अनुमोदन इस दिशा निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि जिस विभाग का यह भुगतान होगा, उस विभाग का यह दायित्व होगा कि बिल धनराशि में से पैन कार्ड नम्बर उपलब्ध कराने पर 10 प्रतिशत तथा पैन कार्ड नम्बर न दिये जाने पर 20 प्रतिशत आयकर धनराशि काटते हुए अवशेष धनराशि से 05 प्रतिशत **'University Welfare Fund'** की कटौती करते हुए कुल शुद्ध भुगतान सत्यापन कर वित्त अनुभाग को भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। इस हेतु एक निर्धारित Bill प्रारूप पत्र तैयार किये जाने तथा **'University Welfare Fund'** के संचालन हेतु समिति निर्धारित किए जाने हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद को अग्रेषित किया गया।

वित्त नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(झ) परीक्षा डयूटी के दौरान मुख्यालय से बाहर जाने वाले कार्मिकों को परीक्षा काल में सामूहिक दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रस्ताव–

विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में प्रायः जुलाई व अगस्त माह तथा दिसम्बर व जनवरी माह में आयोजित की जाती हैं, परीक्षाओं के सुचारू संपादन हेतु गोपनीय परीक्षा सामग्री ले जाने व लाने हेतु व उक्त के अतिरिक्त उड़नदस्ता टीम में विश्वविद्यालय कार्मिको की डयूटी लगाई जाती है। कार्मिकों द्वारा मौसमी चक्र की उक्त विषम परिस्थितियों में भी दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में अपनी डयूटी पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ की जाती है, कभी–कभी पर्वतीय क्षेत्रों में जुलाई, अगस्त माह में वर्षाकाल के दौरान हिल स्लाईडिंग होती रहती है तथा मैदानी क्षेत्रों में दिसम्बर, जनवरी, माह के घना कोहरा छाया रहता है, जिससे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। विश्वविद्यालय में दुर्घटना बीमा सुविधा न होने से कार्मिकों को दुर्घटना की आशंका में अपने परिवार के हित की चिंता बनी रहती है।

अतः प्रकरण पर समिति द्वारा प्रस्ताव को उचित मानते हुए, सर्वसम्मति से संस्तुति की गयी कि, केवल परीक्षा अवधि में मुख्यालय से बाहर परीक्षा डयूटी करने वाले प्रत्येक कार्मिक का सामूहिक दुर्घटना बीमा विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग की ओर से कराया जाए, जिसमें प्रीमियम का संपूर्ण व्ययभार परीक्षा से प्राप्त आय से विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

बैठक के अन्त में सभी सदस्यों का सचिव, वित्त समिति द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

09/02/2021
सचिव,
वित्त समिति

09/02/2021
अध्यक्ष
वित्त समिति

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)